संख्या-103/2015/आर-3217/26-3-2015-रिट(29)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-47230/2014 जे0के0 इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी एण्ड मैनेजमेंट, बुलन्दशहर व अन्य में पारित आदेश दिनांक-04.09.2014 एवं अवमानना याचिका संख्या-4877/2015 में पारित आदेश दिनांक-13.08.2015 के अनुपालन में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2411/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-22.09.2015 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-04.09.2014/13.08.2015 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र वर्ष 2013-14 की याची शिक्षण संस्था के 22 अनुसूचित जाति छात्र-छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-12.826 लाख (रूपये बारह लाख बयासी हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-103/2015/3217 (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in